28-05-18

राज्य द्वारा एडीपीओ अभियुक्त राजेश उर्फ राजू अनु०। प्रकरण अभि० की उप० हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियुक्त की उप0 हेतु जारी गिरफतारी वारंट अदम तामील मय पंचनामा प्राप्त हो चुका है कि अभियुक्त उसके संभावित पतो पर नहीं मिला है, वह पुलिस को देखकर छिप जाता है। कई बार तलाश करने पर उपस्थिति नहीं हो पाई है। एडीपीओं ने निवेदन किया कि अभियुक्त न्यायालय की आदेशिका से बचने का प्रयास कर रहा है, अतः स्थाई वारंट जारी करने का निवेदन किया।

चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं है। कई बार आदेशिका भी जारी हो चुकी है। न्यायालय का इस संबंध में समाधान हो गया है कि अभियुक्त न्यायालय की आदेशिका से बचने का प्रयास कर रहा है और स्वयं को छिपा रहा है। अतः द०प्र०सं० की धारा 299 के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त राजू उर्फ राजेश पुत्र स्व० रामदीन वाल्मीक निवासी ग्राम एण्डोरी थाना एण्डोरी जिला भिण्ड को स्थायी गिरफतारी वारंट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ ही गिरफतारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रजिस्टर में कर पावती ली जाये।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त फरार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

प्रकरण अभिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु भेजा जाये।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)